

I/38524/2024

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर
305002



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या: MCDR-MiFLOSel/2/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 28-08-2024

प्रेषित: Shri Deepak Kalla

Mine Agent, Thob
JK white cement ltd
Pachpadra
District: Barmer 344032

Rajasthan. e-mail: thobmines@jkcement.com, mines.nbh@jkcement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Thob Selenite Mine over an area 90.4966 Ha.in Balotra district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Nishant Kumar Rao, SrACOM on 24/06/2024 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan : - <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12307 cubic meter quantity of overburden removed during the year 2023-24 against the proposal of 77381 cubic meter of overburden . ➤ 5080 t of ROM produced during 2023-24 against the target of 50000 ton proposed . ➤ Area covered under excavation was only 0.5518 hectare against the proposal of 11.93 hectare in 2023- 24. ➤ 50 sapling planted in 2023-24 against the proposal of 1000 plant

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमका उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमोंका उल्लंघनकी अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनका अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

(एन. के. राव)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल)

I/38524/2024

2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।

3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बाडमेर।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो